11.5.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय हीरालाल पुरी, अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब, तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत आधीनता पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से जारी कर निर्णय की छाया प्रति बाबत पालनार्थ तहसीलदार, अरथूना को भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 37/2022

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

हरिसिंह पिता भवानी सिंह जाति राव निवासी फलाबारा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86

निर्णय

दिनांकः 11.5.2022

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का मलाना के मौजा फलाबारा की खाता संख्या 193 (नई) 179 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1087 रकबा 0.10 हे0 किस्म— भू.क. भूमि श्री कर्ण सिंह पिता दौलत सिंह 1/2, श्री हरि सिंह पिता भवानी सिंह जाति राव 1/2 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग तीन को अप्रार्थी श्री हरि सिंह पिता भवानी सिंह जाति राव निवासी फलाबारा द्वारा बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति के आम के पेड़ कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का मलाना द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री हरि सिंह पिता भवानी सिंह जाति राव निवासी फलाबारा के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी की ओर से श्री शिवलाल पुरी, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में स्थित वर्तमान में अत्यधिक गर्मी होने व पैड़ों के तनें तथा जड़ो में दिमक अग जाने से एंव म्रे निजी मवेशी घर बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होने से उक्त पैड़ काटना अवगत कराया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का मलाना द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री हरि सिंह पिता भवानी सिंह जाति राव निवासी फलाबारा द्वारा पटवार हल्का मलाना के मौजा फलाबारा की खाता संख्या 193 (नई) 179 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1087 रकबा 0.10 हे0 किस्म— भू.क. भूमि में स्थित तीन आम के पेड़ को कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को खातेदारी भूमि में स्थित तीन आम के पेड़ बिना अनुमति के कांटने के फलस्वरूप 100/— रू0 प्रति पेड़ की दर से 300/— रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 80,000/— (अक्षरे रूपये अस्सी हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से लकड़ी की निलामी की कार्यवाही करातें हुऐ अन्तिम बोलीदाता को लकड़ी सुपुर्द कराई जाकर (यदि लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित [illegible] वन विभाग से नियमानुसार परिवहन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त करने निर्देशित किया [illegible]कर) जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा कराई जाकर पालना रिपोर्ट [illegible] न्यायालय [illegible] दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:18:23 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जि0 बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner